**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1130**

उत्तर देने की तारीखः 16.12.2013

**गुजरात शैक्षिक संस्था सेवा अधिकरण विधेयक को अनुमोदन प्रदान किया जाना**

**1130. श्री नतुजी हालाजी ठाकोर:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात शैक्षिक संस्था सेवा अधिकरण विधेयक अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक को अनुमोदन प्रदान करके राज्य सरकार को कब तक लौटा दिए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डा. शशि थरूर)**

**(क) :** जी, हां।

**(ख) :** गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों से परामर्श करके निम्नलिखित दृष्टिकोणों से राज्य विधानों की जांच की जाती हैः

(i) केंद्रीय विधानों के साथ असंगति;

(ii) राष्ट्रीय अथवा केंद्रीय नीति से भिन्नता; और

(iii) विधिक और संवैधानिक वैधता।

राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि जब भी आवश्यक हो वे उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधान/विधेयकों के उपबंधों को आशोधित/संशोधित करें। कभी-कभी शीघ्रतापूर्वक किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किए जाते हैं। इसलिए, इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

\*\*\*\*\*\*